

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीतासीन अधिकारी- श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/6055
प्राथी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 06/11/24

1 रेखाराम पुत्र
करनाराम जाति जाट
निवासी करणपुर,
चौखला तहसील
बाटाडू जिला बाड़मेर

1 जोगाराम पुत्र नारणाराम 2 हीराराम पुत्र जेटाराम
3 गुणेशाराम पुत्र विष्णाराम 4 जोगाराम 5 गैराराम
पिसरान चूनाराम 6 तीजों पत्नी चूनाराम जाति जाट
निवासी करणपुर, चौखला तहसील बाटाडू व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 659/2024

दिनांक- 28.10.2024

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा करनपुरा पटवार हल्का चौखला तहसील व जिला बाड़मेर के
खेत खसरा संख्या 189 रकबा 5.3799 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(Handwritten Signature)

(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/6056-59

दिनांक- 06/11/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रेखाराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी करणपुर तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जोगाराम पुत्र नारणाराम वगैराह जाति जाट निवासी करणपुर तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर।

(Handwritten Signature)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर